



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

क्षेत्रीय कार्यालय : 127/128 अंकित विहार

पचैण्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

फोन-8192805247, 8192804161, फैक्स-0131-2412155
E-Mail : rmmzn@upgb.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात् उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है और जो कुछ भी है के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा अलमासपुर मुजफ्फरनगर	मौ० इरशाद पुत्र श्री मौ० अनवर जमानतकर्ता: 1. श्री शमशाद पुत्र श्री मौ० नफीस, म०न० 1071, खालापार, मु० नगर, 2. श्री नौशाद पुत्र श्री नफीस, 107, खालापार, मु० नगर	आवासीय मकान नं. 946, खसरा नं. 2344/1 का हिस्सा, मौ० खालापार दक्षिण, परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 85.27 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूरब- 51', पश्चिम- 51', उत्तर- 18', दक्षिण- 18'। बाउण्ड्री: पूरब- सुक्का का मकान, पश्चिम- उसमान का मकान, उत्तर- रास्ता 12' चौड़ा, दक्षिण- अन्य का मकान।	1784930/- + ब्याज एवं अन्य खर्च 31.08.2022 से	1800000/-	180000/-	दिनांक 29.09.2022, बृहस्पतिवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पचैण्डा रोड़, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
2.	शाखा अलमासपुर मुजफ्फरनगर	श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री राधाचरण शर्मा जमानतकर्ता: 1. श्री मनोज कुमार मोर्य, अंकित विहार, पचैण्डा रोड, मु० नगर, 2. श्री प्रमोद कुमार, नई बच्चनसिंह कालोनी, मु० नगर	आवासीय मकान खसरा नं. 65/501 का हिस्सा, (हाल मौ० गांधी नगर), गांव कूकड़ा (बाहर हद्द) परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 64.03 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूरब- 13', पश्चिम- 13', उत्तर- 53', दक्षिण- 53'। बाउण्ड्री: पूरब- लेखराज का मकान, पश्चिम- रास्ता 20' चौड़ा, उत्तर- विक्रेता का मकान, दक्षिण- ममता का प्लॉट।	1761784/- + ब्याज एवं अन्य खर्च 31.08.2022 से	1325000/-	132500/-	दिनांक 29.09.2022, बृहस्पतिवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पचैण्डा रोड़, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तः (1) उक्त सम्पत्तियाँ ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मॉर्ग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व सायं 5:00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मॉर्ग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात् 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्युनिसिपल/टैक्स/बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही वहन की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मॉर्ग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियाँ जैसा है, जहाँ है, जितना है जैसा है के आधार पर बेची जायेगी। (11) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसारसमस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चों सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक : 14.09.2022

स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

क्षेत्रीय कार्यालय: 127/128 अंकित विहार

पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

फोन-8192805247, 8192804161, फैक्स-0131-241255

E-Mail : rmmzn@upgb.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात् उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है और जो कुछ भी है के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा अलमासपुर मुजफ्फरनगर	श्रीमति सोमी पत्नि श्री कहर सिंह एवम श्री हरेन्द्र पुत्र श्री कहर सिंह	आवासीय मकान प्लॉट नं. 40, गली नं. 02, खसरा नं. 1268 का हिस्सा, सरवट (बाहर हद्द), हाल बच्चन सिंह कालोनी विद्यापुरम परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 83.60 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूरब-15', पश्चिम-15', उत्तर-60', दक्षिण-60'। बाउण्ड्री: पूरब-रास्ता 25' चौड़ा, पश्चिम-हिमांशु शंखर का मकान, उत्तर-रास्ता 18' चौड़ा, दक्षिण-केहर सिंह का प्लॉट।	3561585/- + ब्याज एवं अन्य खर्च 31.08.2022 से	2250000/-	225000/-	दिनांक 14.10.2022, शुक्रवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
2.	शाखा अलमासपुर मुजफ्फरनगर	श्रीमति कविता पत्नि श्री विनोद एवम श्री विनोद पुत्र श्री कहर सिंह	आवासीय मकान प्लॉट नं. 40ए, गली नं. 02, खसरा नं. 1268 का हिस्सा, सरवट (बाहर हद्द), हाल बच्चन सिंह कालोनी विद्यापुरम परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 62.70 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूरब-22'6", पश्चिम-22'6", उत्तर-30', दक्षिण-30'। बाउण्ड्री: पूरब-रास्ता 25' चौड़ा, पश्चिम-हिमांशु शंखर का मकान, उत्तर-रास्ता 18' चौड़ा, दक्षिण-केहर सिंह का प्लॉट।	2515029/- + ब्याज एवं अन्य खर्च 31.08.2022 से	1250000/-	125000/-	दिनांक 14.10.2022, शुक्रवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
3.	शाखा अलमासपुर मुजफ्फरनगर	श्रीमति बालेश पत्नि श्री अनिल कुमार एवं श्री अनिल पुत्र श्री पाल सिंह	आवासीय मकान प्लॉट नं. 49 का हिस्सा, गली नं. 02, खसरा नं. 1265 का हिस्सा, सरवट (बाहर हद्द), मौ. अर्चितपुरम, बच्चनसिंह कालोनी, परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूरब-15', पश्चिम-15', उत्तर-30', दक्षिण-30'। बाउण्ड्री: पूरब-प्लॉट नं. 49 का हिस्सा, पश्चिम-रास्ता 18' चौड़ा, उत्तर-प्लॉट नं. 48, दक्षिण-प्लॉट नं. 49 का अन्य हिस्सा।	3002698.40 + ब्याज एवं अन्य खर्च 30.07.2022 से	1200000/-	120000/-	दिनांक 14.10.2022, शुक्रवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्तियाँ ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व सायं 5:00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी समाप्त समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात् 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्युनिसिपल/टैक्स/बिलों/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्ट्याम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही वहन की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियाँ जैसा है, जहाँ है, जितना है जैसा है के आधार पर बेची जायेगी। (11) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और वही हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चों सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 13.09.2022

स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)